

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 1970/माघ 10, 1891

No. 13] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 1970/MAGHA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1970

G.S.R. 182.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the Central Government hereby appoints the 30th day of January, 1970, as the date on which the provisions of sections 11, 12, 13, 16, 17, 28, 29, 62, 73 and 77 of the said Act shall come into force.

[No. F. 1/2/70-SR.]

M. G. PIMPUTKAR,
Special Secretary (U.T.)

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1970

सा० का० नि० 182,— असम पुनर्संगठन (मैघालय) अधिनियम 1969 (1969 का 55) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रद शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जनवरी 1970 के 30वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस को उक्त अधिनियम की धारा 11, 12, 13, 16, 17, 28, 29, 62, 73 और 77 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे ।

[सं० का० 1/2/70-एस० आर०]

मो० ग० पिम्पुटकर,
विशेष सचिव, (यू० टी०) ।